संख्या-249/2019/4962/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 दिसम्बर 2019

विषयः- मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण श्री शिवम सूर्या पुत्र श्री राकेश कुमार निवारी, ग्राम-कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3192/स0क0/शिक्षा-अ/2/2019-20, दिनांक-27.11.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण श्री शिवम सूर्या पुत्र श्री राकेश कुमार निवारी, ग्राम-कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर की वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रू0-86,226/-(रूपये-छियासी हजार दो सौ छब्बीस मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-249/2019/4962(1)/26-3-2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in